"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 167] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 15 जुलाई 2005—आषाढ़ 24, शक 1927 [

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/18/2005.—नगर पालिक परिषद् भिलाई-चरौदा जिला दुर्ग का कार्यकाल दिनांक 16 जुलाई 2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 (3) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, जिला दुर्ग को दिनांक 17 जुलाई, 2005 से आगामी आदेश पर्यन्त नगरपालिका परिषद् भिलाई-चरौदा जिला दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

Raipur, the 15th July 2005

NOTIFICATION

No. F-1-19/18/2005.—Since the period of the elected Municipal Council Bhilai-Charoda, District Durg is getting over on 16th July, 2005, therefore, in exercise of powers conferred under Section 328 (3) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Patan, District Durg as the Administrator of the Municipal Council Bhilai-Charoda from the date 17 July, 2005 till further orders.

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/18/2005.—नगर पालिक परिषद् जामुल जिला दुर्ग का कार्यकाल दिनांक 16 जुलाई 2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 328 (3) के अधीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला दुर्ग को दिनांक 17 जुलाई, 2005 से आगामी आदेश पर्यन्त नगरपालिका परिषद् जामुल जिला दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया जाता है.

Raipur, the 15th July 2005

NOTIFICATION

No. F-1-19/18/2005.—Since the period of the elected Municipal Council Jamul, District Durg is getting over on 16th July, 2005, therefore, in exercise of powers conferred under Section 328 (3) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961, the State Government hereby appoints Sub-Divisional Officer (Revenue), Durg, District Durg as the Administrator of the Municipal Council Jamul from the date 17th July, 2005 till further orders.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.